

## राजस्थान सरकार

### निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. सेवायें राज0 जयपुर


क्रमांक :- ई-18/एम/6177-यू/2019/

दिनांक :

### आदेश

अवमानना प्रकरण संख्या 62/2015 के अन्तर्गत अपील संख्या 101/2008 श्री हरदेव भील, वरिष्ठ सहायक (से.नि.) के निर्णय दिनांक 03.03.2015 की अनुपालना में देय एरियर राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज राशि 348641/-रु. (अक्षरे तीन लाख अडतालिस हजार छः सौ इकतालीस मात्र) के भुगतान की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बजट मद 2071-01-800-(01) डिफ्रीटल व्यय की स्वीकृति जारी की जाती है।

उक्त आदेश वित्त नियम विभाग की आईडी क्रमांक 101900391 दिनांक 04.02.2019 के अनुसरण में जारी किये जा रहे हैं।

  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/6177-यू/2019/459

दिनांक : 21/02/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन संयुक्त सचिव, वित्त नियम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-अजमेर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा को भेजकर लेख है कि लेख है कि निदेशालय के पत्र क्रमांक 3394 दिनांक 17.12.2018, 3556 दिनांक 27.12.2018 एवं 113 दिनांक 08.01.2019 के द्वारा विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी की सूचना चाही गई थी जो आज दिवस तक अपेक्षित है। अतः अविलम्ब चाही गई सूचना निम्नहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
7. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कोटडी, भीलवाडा।
8. श्री हरदेव भील, वरिष्ठ सहायक (से.नि.) को सूचनार्थ।
9. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
10. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर